

बिहार सरकार,  
पर्यावरण एवं वन विभाग,  
कार्यालय: निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

दर्शक-पास संबंधी सूचना  
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना (पटना जू) का अक्सर भ्रमण करने हेतु आम  
जनता के लिए एक सुनहरा अवसर



निर्धारित मासिक, छःमाही एवं वार्षिक शुल्क पर दर्शक पास (Visitor pass) प्राप्त कर पटना जू का भ्रमण कर सकते हैं।

- एक माह के लिए रू० 250/-, छः माह के लिए 1400/- एवं एक वर्ष के लिए 2500/- रूपये प्रति व्यक्ति के अनुसार शुल्क देय होगा।
- भुगतान पर संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में कुछ शर्तों/नियमों के अधीन दर्शक-पास उपलब्ध है।
- इस दर्शक पास पर संबंधित पासधारक, दर्शकों के लिए उद्यान भ्रमण की निर्धारित भ्रमण अवधि तक, भ्रमण कर सकते हैं।
- उद्यान बंदी के दिन यह पास मान्य नहीं होगा। उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है।
- दर्शक पास प्राप्त करने हेतु आवेदन-प्रपत्र उद्यान के गेट न० 1 एवं 2 से कार्यावधि में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। दर्शक-पास प्राप्त करने के ईच्छुक व्यक्ति विहित-प्रपत्र में निदेशक के कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय दुरभाष संख्या 0612-2217455 पर कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है। तथा आवेदन-पत्र विभागीय वेबसाईट [www.forest.bih.nic.in](http://www.forest.bih.nic.in) से भी download किया जा सकता है।

(एस० चन्द्रशेखर)  
निदेशक।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

एक माह/छः माह/एक वर्ष के लिए दर्शक पास प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र।

स्टाम्प  
साईज  
फोटा

नाम :-

पिता का नाम :-

वर्तमान पता :-

स्थायी पता :-

मोबाईल न० :-

पेशा :-

ब्लड ग्रुप :-

अवधि जिसके लिए पास लेना चाहते हैं:- .....माह / ..... वर्ष

आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क करने के लिए:-

नाम :-

रिश्ता :-

मोबाईल सं० :-

प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त जानकारी सही है तथा मैं संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में लागू सभी नियमों/कानूनों/अनुदेशों का पालन करूंगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक:- दो रंगीन स्टाम्प साईज फोटोग्राफ्स।

स्थान:-

तिथि:-

कृ०पृ०उ०

## अनुदेश एवं शर्तें

- 1- यह पास निर्गत की तिथि से एक माह/छः माह/एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- 2- इस पास पर पासधारक, दर्शकों के लिए उद्यान भ्रमण की निर्धारित अवधि तक ही भ्रमण कर सकते हैं।
- 3- उद्यान बंदी के दिन एवं पहली जनवरी को यह पास मान्य नहीं होगा।
- 4- पास धारक उद्यान के सभी नियमों का पालन करेंगे।
- 5- पास खो जाने की स्थिति में 100/- (एक सौ) रूपया शुल्क तथा तीन रंगीन स्टाम्प साईज़ फोटोग्राफ्स जमा कर पुनः पूर्व में निर्गत अवधि के लिए पास बनवा सकते हैं।
- 6- उद्यान भ्रमण के दौरान पासधारक को इस पास को अपने पास रखना तथा उद्यान के किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांग करने पर उसे दिखाना अनिवार्य होगा।
- 7- पासधारक द्वारा उद्यान के अन्दर किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त पाये जाने पर बिना शुल्क लौटाये इस पास को (सुनवाई का मौका देते हुए) रद्द करने का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8- पास निर्गत करने हेतु जमा की गई राशि पास निर्गत करने के बाद वापस नहीं की जाएगी।
- 9- निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश/निदेश पासधारक पर प्रभावी रहेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर